संख्या-81/2016/38/22-2-2016-17(237)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमेरिका मौर्य पुत्र श्री गुरूप्रसाद, निवासी जनपद-बहराइच की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अमेरिका मौर्य पुत्र श्री गुरूप्रसाद, ग्राम-गंगापुर गुलिरिहा, थाना-नवाबगंज, जनपद-बहराइच का निवासी है। पूर्व से चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1999 को हंसिये से राममिलन के गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-118/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3(2)(वी) एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बहराइच द्वारा दिनांक 20.12-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2015 तक 16 वर्ष 03 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 02 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, भविष्य में पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, पुन: अपराध करने की पुनरावृत्ति कर सकता है आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि पूर्व से चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1999 को हंसिये से राममिलन के गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमेरिका मौर्य पुत्र श्री गुरूप्रसाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमेरिका मौर्य पुत्र श्री गुरूप्रसाद, निवासी जनपद-बहराइच की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-81/2016/38/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।